सीबीआई, हैदराबाद

बनाम

सुब्रमण्यम गोपालकृष्णन एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं॰ 985-86/2011)

21 अप्रैल, 2011

[पी. सतशिवम और डॉ. बी. एस. चौहान, जे. जे.]

कॉर्पोरेट घोटाले में जमानत दिये जाने के आदेश को चुनौती - कम्पनी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक व अन्य निदेशकों द्वारा कम्पनी के लेखों एवं रिकार्ड में हेर फेर की गई जिसे लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया - अंशधारकों को भारी वित्तीय हानि हुई-कम्पनी के अध्यक्ष, निदेशकों व आडिटरों की शिकायत की गयी-अनुसंधान सीबीआई को सुपुर्द किया गया - कम्पनी के बाह्य एवं आंतरिक आडिटरों क्रमशः ए4 एवं ए10 दो सह अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई-जमानत के ओचित्य के संबंध में धारित किया: जमानत दिया जाना उचित नहीं था-कम्पनी के बाह्य व आंतरिक लेखा परीक्षकों के तौर पर ए4 व ए10 ने कम्पनी की परिसम्पतियों एवं बैंक बैलेंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में महती भूमिका निभाई- ए5 के पक्ष में जारी किये गये जमानत आदेश पर निर्भर करते हुए ए4 व ए 10 को जमानत देने में उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है क्योंकि ए4 एवं ए5 की बताई गई भूमिकाएं समान नहीं थी-

सभी प्रमुख आरोपियों को दी गई जमानत को भी सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था तथा विचारण को निर्धारित समयावधि में पूरी करने क निर्देश दिया था- प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में तथा घोटाले के परिमाण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने ए4 व ए10 को जमानत देने में गलती की - ए4 एवं ए10 को जमानत देने का उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया।

मैसर्स एससीएसएल कम्पनी में कई धोखाधड़ियां की गई तथा लेखा पुस्तिकाओ में हेर-फेर की गई। कई निवेशकों ने नुकसान उठाया। एक निवेशक ने तत्कालीन अध्यक्ष, निदेशक एवं आडिटरों के विरूद्घ एवं अन्यों के विरूद्घ धारा 407,420,467,468,471 एवं 477ए सपठित धारा 120बी आईपीएसी के अपराधों के लिए शिकायत दर्ज करवाई। अनुसंधान सीबीआई को सुपुर्दकिया गया। कुछ शर्तें आरोपित करते हुए उच्च न्यायलय ने उत्तरदाताओ ए4 एवं ए10 क्रमशः ब्राहय व आंतरिक लेखा परीक्षकों को जमानत पर रिहा कर दिया । इस वजह से अपीलार्थी-सीबीआई ने हस्तगत अपीलें फाईल की थी ।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया ।

1.1 शिकायत और अनुसंधान के अनुसार, अन्य आरोपियों के साथ एससीएसएल4 और एससीएसएल10 वाणिज्यिक जगत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक में शामिल हैं। इससे न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में वित्तीय तूफान आ गया है और उनके कार्यों और आचरण से

लाखों शेयरधारकों और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और देश की कॉर्पोरेट विश्वसनीयता को गंभीर झटका लगा है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत घोटाले के कारण शेयरधारकों और अन्य लोगों को हुई तकलीफों को कम कर नहीं आंका जा सकता है। (पैरा 11)(834-जी-एच;835-ए)

1.2. ए4 और ए10 के लिए जमानत का आदेश देते समय उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 257/2010 में दिए गए इस न्यायालय के दिनांक 04.02.2010 के आदेश को प्रमुख आधार बनाया है। उक्त अपील इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत चार्टेड आकउटेंट तल्लुरी श्रीनिवास (ए5) से संबंधित है। वह आईसीएआई द्वारा पंजीकृत मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस, बैंगलोर के एक भागीदार के रूप में काम कर रहा था।मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस मेसर्स एससीएसएल का वैधानिक अधिकृत लेखा परीक्षक हैं और ए5 के खिलाफ आरोप यह है कि वर्ष 2007-08 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करते समय, कुछ बढ़े हुए आंकड़ों को उक्त रिपोर्ट में शामिल किया गया था और इस तरह उन्होंने लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के पेशेवर निकाय के सदस्य के रूप में विश्वास का गंभीर हनन किया । ए5 द्वारा कथित रूप से कारित अपराध की प्रकृत्ति व गंभीरता बाबत मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बगैर कुछ तथ्यात्मक विवरण पर विचार करते हुए कि मामले का विचारण शुरू होने में ही लंबा समय लगेगा तथा ए5 एक वर्ष से

अधिक समय से अभिरक्षा में चल रहा था, कुछ शर्तें आरोपित करते हुए दिनांक 04.02.10 को ए5 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। (पैरा 13) (835-डी-एफ;836-बी)

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के विरूद्घ ए5 द्वारा पेश अपील पर इस न्यायालय ने कुछ तथ्यों के मद्देनजर कुछ शर्तें आरोपित करते हुए ए5 को जमानत पर रिहा कर दिया। ए4 एवं ए5 की कथित भूमिकाओ में कोई समानता नहीं है। प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्ट्या तौर पर यह अवधारणा सही नहीं है कि ए4 एवं ए5 की कथित भूमिकाएं समान हैं। स्वीकृत तौर पर प्रासंगिक समय में ए4 एवं ए5 मैसर्स एससीएसएल के लेखा परीक्षक थे । ए5 ने मात्र एक वर्ष के लिए काम किया जबकि ए4 वर्ष 2000 से 2007 की अवधि के दौरान 07 वर्ष तक मैसर्स एससीएसएल के लेखों के परीक्षण का प्रभारी था। इन दोनों आरोपियों के विरूद्घ पेश तीन आरोपपत्र एवं लगाए गए लांछनों का सत्यापन हो चुका है। उपलब्ध तथ्यात्मक विवरणों के मद्देनजर प्रथम दृष्ट्या मैसर्स एससीएसएल के बैंक बैलेंस एवं नकदी की स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने का परिणाम देने वाली त्रुटिपूर्ण लेखा परीक्षा के संदर्भ में ए4 एवं ए5 को एक ही सांचे में नहीं रख जा सकता। (पैरा 15)(836-सी-जी)

1.4 इस न्यायालय ने एक क्रिमिनल अपील में पारित अपने आदेश दिनांक 26.10.10 के द्वारा ए1, ए2, ए3, ए7, ए8 एवं ए9 को उच्च

न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज कर दिया था। यह आदेश पारित करने एवं इस तथ्य को रिकॉर्ड करने के आरोप दिनांक 25.10.10 को विरचित कर दिए गए हैं तथा विचारण प्रभावी तौर पर दिनांक 02.11.10 को प्रारम्भ होना है, के पश्चात इस न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए थे । (पैरा 16)(836-एच;837-ए)

1.5 इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.10.2010 के जरिये दिये गये निर्देशों के तहत विचारण दिन-प्रतिदिन के आधार पर चल रहा है एवं इसके दिनांक 31.07.11 तक पूर्ण होने की संभावना है । 697 गवाहान में से अभियोजन ने 470 गवाहों को ड्राप कर दिया है तथा केवल 227 गवाहोंकी परीक्षा की जानी है इनमें से 193 गवाहों का परीक्षण हो चुका है जिनमें से कुछ से प्रतिपरीक्षण किया जाना है। ए.एस.जी. के अनुसार अब केवल 30 गवाहों को पेश कर परीक्षण किया जाना है। लिहाजा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.10 को ए5 को जमानत दिए जाने के कारण उत्तरदाताओपर लागू नहीं होते हैं । ए5 को दिए गए जमानत के आधार

उत्तरदाताओप र लागू नहीं किए जा सकते । (पैरा 17 व 18)(837-एफ-एच;838-बी)

1.6 उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.06.10 को ए4 एवं ए10 को जमानत दी जिसे चुनौती देते हुए सीबीआई ने दिनांक 06.10.10 को इस न्यायालय के सामने दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की । यद्यपि कई

कारणों से अपीलांट-सीबीअाई इन याचिकाआेंं को दायर करने के तुरंत पश्चात इन पर आदेश प्राप्त करने के लिए सावचेत प्रतीत नहीं होती तथा आफिस रिपोर्ट की पालना में कुछ समय लग गया तथापि मात्र इस आधार पर एवं उच्च न्ययालय द्वारा जमानत दिए जाने के आदेश पर गुणावगुण पर सुनवाई के बगैर सीबीआई की चुनौती को खारिज नहीं किया जा सकता ।(पैरा 19)(838-डी-जी)

1.7. हालांकि ए10 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मैसर्स एससीएसएल के कर्मचारी एवं आंतरिक लेखा परीक्षक के तौर पर उसका कोई वैधानिक दायित्व नहीं था एवं पहले अारोपपत्र में उसका नाम न होकर केवल दूसरे आरोपपत्र में उसे आरोपी माना गया, उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए इसकी शुद्घता के प्रश्न पर जाना इस प्रक्रम पर वांछित नहीं है एवं इसी के साथ घोटाले की व्यापकता को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि लेखा परीक्षण के प्रभारी व्यक्तियों के सहयोग एवं मिलीभगत के बगैर यह घोटाला नहीं हो सकता था, विद्वान अधिवक्ता के पक्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा ए10 को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को उचित नहीं कहा जा सकता। (पैरा 20) (838-एच;839-ए-बी)

1.8 यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि जमानत रद्द करने और जमानत देने के आदेश के खिलाफ अपील करने के मानदंडों के बीच अंतर है। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाला आदेश

पारित करने के लिए बहुत ही ठोस और जबरदस्त परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने का आधार न्याय प्रशासन की प्रतिक्रियाओमें हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय प्रशासन की प्रतिक्रियाओसे बचने का प्रयास या किसी भी तरीके से आरोपी को दी गई रियायतों का दुरुपयोग है। ये सभी बातें उदाहरण के तौर पर कही गयी हैं। आरोपी के फरार होने की संभावना बाबत रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने का उचित कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में, एक बार दी गई जमानत को, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में जमानत संबंधी रियायत का लाभ देकर आरोपी को स्वतंत्र रहने देना निष्पक्ष सुनवायी के लिए अनुकूल नहीं रह गया है, यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए। घोटाले की व्यापकता संबंधी तथ्यों व परिस्थितियों में, जहां सभी प्रमुख अारोपियों के पक्ष में दी गई जमानत को खारिज कर दिया गया था एवं बाह्य एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के तौर पर ए4 एवं ए10 ने मैसर्स एससीएसएल की परिसम्पतियों एवं बैंक बैलेंस को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में सर्वोपरि भूमिका निभाई, जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता । (पैरा 21) (839-सी-एच)

1.9 अभियोजन पक्ष के विशिष्ट आरोपों के मद्देनजर कि मिथ्या तरीके से बही खातों में नकदी एवं बैंक बैलेंस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, पिछले कई वर्षों की अवधि में बढ़ी हुई आय दिखाने, धोखाधड़ी एवं लेखाओ

को गढ़ने के आपराधिक षडयंत्र में ए4 एवं ए10 शामिल थे, उच्च न्यायालय को इन उत्तरदाताओको जमानत का लाभ नहीं देना चाहिए था। इस न्यायालय के पश्चातवर्ती आदेश जिसके द्वारा अन्य अभियुक्तों को दी गई जमानत खारिज कर दी गई थी एवं निर्धारित समयावधि में विचारण पूर्ण करने बाबत निर्देश जारी किए गए थे, को देखते हुए ए4 एवं ए10 को जमानत देने में उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है। (पैरा 22) (840-ए-सी)

1.10. ए4 एवं ए10 के हक में जमानत देते हुए पारित किया गया उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । उन्हें दिनांक 30.04.11 अथवा इससे पहले समर्पण करने का निर्देश दिया जाता है अन्यथा अपीलांट विधिनुसार उचित कदम उठाएगा। इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 26.10.10 में की गई टिप्पणियां एवं प्रदत्त निर्देश उत्तरदातागण ए4 एवं ए10 के संदर्भ में भी लागू होंगे। (पैरा 23) (840-डी-ई)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 985-986/2011

आपराधिक याचिका संख्या 4972 व 4913/2010 में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.06.2010 के विरूद्घ।

पी. पी. मल्होत्रा, विवेक तन्खा, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, श्वेता वर्मा, प्रतुल संदिल्य, ऋषभ संचेती, सुमीर सोधी, वभाव

श्रीवास्तव, डी. कुमनान, मधुरिमा मृदुल, अरविंद कुमार शर्मा, आर. एन. करंजावाला, मजिल करंजावाला, रूबी सिंह आहूजा, अबीर कुमार, प्रज्ञा ओहरी, करंजावाला एंड कंपनी, डी. राम कृष्ण रेड्डी, डी. भारती रेड्डी पक्षकारों के लिए उपस्थित हुए ।

न्यायालय का निर्णय **पी.सतशिवम, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सीबीआई") हैदराबाद द्वारा पेश यह अपीलें आपराधिक याचिका संख्या 4972/2010 और 4913/2010 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा पारित दिनांक 25.06.2010 के आदेश के खिलाफ पेश की गई हैं जिसमें उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तें लगाकर उत्तरदाताओं, अर्थात् एस. गोपालकृष्णन (ए4) और वीएस प्रभाकर गुप्ता (ए10) को जमानत पर रिहा कर दिया।

2. चूंकि सीबीआई ने दो आरोपियों, ए4 और ए10 के संबंध में जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, हम केवल इन अपीलों के निपटान के लिए आवश्यक तथ्यों को देख रहे हैं।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) दिनांक 07.01.2009 को मेसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (संक्षेप में "मैसर्स एससीएसएल") के तत्कालीन अध्यक्ष बी. रामलिंगा राजू ने निदेशक मंडल को संबोधित एक इकबालिया पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मेसर्स एससीएसएल में कुछ वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया। इस पत्र के अनुसार, दिनांक 30.09.2008 की बैलेंस-शीट में

मिथ्या तरीके से बढ़ा-चढा कर रूपए 5,040/- करोड़ की नकदी व बैंक बैलेंस, रु. 376/- करोड़ का अर्जित ब्याज और स्वयं द्वारा जुटाए गए फंड पेटे देनदारी को कम कर रूपए 1,230/- करोड़ का बताया गया तथा देनदारों की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर 490/- करोड़ का बताया गया। (लेखों के आधार पर मौजूद रूपए 2651/-करोड़ के मुकाबले)। उन्हाने कई ऐसे तथ्यों का भी खुलासा किया जिससे नकदी व बैंक बैलेंस में कृत्रिम वृद्घि हुई ।

(बी) उन्होंने भारत के कारपोरेट इतिहास में दर्ज की जाने योग्य कई धोखाधड़ीयों और फर्जी खातों का भी खुलासा किया। वित्तीय सलाहकारों, लेखा परीक्षकों आदि सहित प्रबंधन के व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण, कई निवेशकों को नुकसान हुआ और ऐसे निवेशकों में से एक की शिकायत पर दिनांक 09.01.09 को आंधप्रदेश राज्य के अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा मेसर्स एससीएसएल के तत्कालीन अध्यक्ष, निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों के विरूद्घ धारा 409,420,467,468, 471,477 ए सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं.के अपराधों के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "एफआईआर") दर्ज की गई थी। अपराध की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, सीबीआई को अनुसंधान सुपुर्द किया गया और उसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, हैदराबाद द्वारा दिनांक 20.02.2009 को एक नियमित मामला आरसी.नंबर 4(एस)/2009 दर्ज किया गया।

(सी) कंपनी के चेयरमैन, एमडी और अन्य निदेशकों द्वारा बैलेंस शीट में गलत और बढ़े हुए आंकड़े दिखाकर कंपनी के खातों और रिकॉर्ड में की गई हेरफेर के कारण, जो लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित थे, कम्पनी के शेयरों के मूल्य में अचानक गिरावट हुई जिससे शेयरधारकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। शेयरों के मूल्य में गिरावट उपरोक्त उन पदाधिकारियों द्वारा किए गए बेईमान और धोखाधड़ी वाले कृत्यों के कारण हुई, जो कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और इसके कामकाज और दिन-प्रतिदिन के मामलों से जुड़े थे।

4. उपरोक्त संक्षिप्त तथ्यों के आधार पर यदि उत्तरदाताओं (ए4 और ए10) के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर विचार करें तो-

सीबीआई, हैदराबाद बनाम सुब्रमण्यम गोपालकृष्णन एवं अन्य (पी सतशिवम, जे.) 831

<u>सीसी 1/2010 में मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस के पार्टनर और प्रभारी एस. गोपालकृष्णन (ए4) की भूमिका:</u>

(ए) वित्तीय वर्ष 2001 से 2007 तक मेसर्स एससीएसएल के वैधानिक लेखा परीक्षक, मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस के भागीदार के रूप में उन्होंने वित्तीय विवरणों पर अपने हस्ताक्षर किए।

(बी) वह फर्म 'मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस, बैंगलोर' में भागीदार था, न कि 'मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस' में।

(सी) मेसर्स एससीएसएल और मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस के बीच हुए समझौते में, उन्होंने अपने हस्ताक्षर करने के बजाय 'मैसर्स प्राइस वॉटरहाउस' के रूप में हस्ताक्षर किए, जो स्थापित प्रथा और प्रक्रिया के विपरीत है।

(डी) वैधानिक लेखा परीक्षक की हैसियत में कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरण की आधारभूत वैधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रमाणित करने से पहले कंपनी के अन्य निवेशों, देनदारियों और बिक्री के अलावा मेसर्स एससीएसएल द्वारा बताये गये बैंक बैलेंस और एफडीआरों को सत्यापित करना उनका दायित्व है।

(ई) कंपनी के वित्तीय हालात के बारे में ऑडिट कमेटी के समक्ष उनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियाँ भ्रामक थीं।

(एफ) आरोपी व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार किये गये उनके कृत्यों के प्रतिफल के रूप में उन्हें मेसर्स एससीएसएल से बाजार दर की तुलना में अत्यधिक ऑडिट शुल्क प्राप्त हुआ जो पारस्परिक एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को दर्शाता है।

(जी) मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस के लेटर-हेड पर लिखे गये पत्र मेसर्स एससीएसएल के कंप्यूटर सिस्टम से बरामद किए गए थे। ये पत्र लेखापरीक्षकों द्वारा बैंकों को संबोधित करके बैंक बैलेंस का प्रमाणीकरण मंगवाने के लिए लिखे जाने चाहिए थे।

(एच) सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य जाँच में कमियाँ पाई जाने के बावजूद उनके द्वारा वित्तीय खातों की कोई ठोस और विस्तृत जाँच नहीं की गई।

(आई) एकीकृत ऑडिट में जाहिर हुई नियंत्रण कमियों को ऑडिट समिति के ध्यान में नहीं लाया गया।

(जे) ए4 के उपरोक्त प्रत्यक्ष कृत्य आईपीसी की धारा 420, 419, 467, 468, 471 और 477ए सपठित धारा 120बी भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों को प्रकट करते हैं ।

5. सीसी 3/2010 में श्री एस. गोपालकृष्णन (ए4) की भूमिका:

(ए) वह मेसर्स एससीएसएल के मामले में वैधानिक ऑडिट करते समय ऑडिट और आश्वासन मानकों का पालन करने में विफल रहा।

(बी) वह बिलों के नमूनों में जाली और मनगढ़ंत बिलों के अस्तित्व को इंगित करने में विफल रहे।

(सी) अपनी भूमिका के बदले में उन्हें बहुत अधिक पारिश्रमिक मिला।

(डी) ए4 के उपरोक्त प्रत्यक्ष कृत्य आईपीएसी की धारा 120बी सपठित धारा 420, 471 और 477ए के तहत दंडनीय अपराधों को प्रकट करते हैं ।

पूरक आरोपपत्र में मेसर्स एससीएसएल के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख श्री वी.एस. प्रभाकर गुप्ता (ए 10) की भूमिका:

(ए) वह आंतरिक लेखापरीक्षा के सहप्रभारी थे और प्रासंगिक अवधि के दौरान मेसर्स एससीएसएल के आंतरिक लेखापरीक्षा के वैश्विक प्रमुख थे।

(बी) उन्होंने जानबूझकर 2007 तक मेसर्स एससीएसएल की आंतरिक लेखा परीक्षा योजना में ओरेकल फाइनेंशियल (ओएफ) की ऑडिटिंग को शामिल नहीं किया था, जबकि सिस्टम 2002 से चालू था।

(सी) उन्होंने कई अप्रासंगिक कारणों का हवाला देते हुए ओरेकल फाइनेंशियल सहित कई आईटम्स के ऑडिट को टालने के लिए जानबूझकर ऑडिट समिति को एक प्राथमिकता योजना प्रस्तुत की।

(डी) बिलों से संबंधित विसंगतियों बाबत कोई सुधारात्मक उपाय या अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

सीबीआई, हैदराबाद बनाम सुब्रमण्यम गोपालकृष्णन एवं अन्य (पी सतशिवम, जे.) 833

(ई) उन्होंने आंतरिक ऑडिट टीम की ऑफशोर अकाउंट बुक्स तक पहुंच की बहाली के लिए उचित तरीके से कार्रवाई नहीं की।

(एफ) उन्होंने आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली में उल्लिखित निर्धारित प्रक्रियाओं का जानबूझकर उल्लंघन किया।

(जी) ए 10 के उपरोक्त प्रत्यक्ष कृत्य धारा 120 बी सपठित धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों को प्रकट करते हैं ।

6. उपरोक्त विवरण के अलावा विद्वान एएसजी, श्री पीपी मल्होत्रा ने हमारे ध्यान में यह भी लाया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले ए 4 ने सात जमानत याचिकाएं दायर की थीं और उच्च न्यायालय ने आठवीं जमानत याचिका में विवादित आदेश पारित किया था। इसी प्रकार उन्होंने यह भी बताया कि ए 10 ने भी छह जमानत याचिकाएं दायर की थीं और उच्च न्यायालय ने छठी जमानत याचिका में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया था।

7. इन सभी विवरणों को इंगित करते हुए, विद्वान एएसजी ने निवेदन किया है कि इस स्तर पर, आरोपी-प्रत्यर्थियों को न्यायिक हिरासत से रिहा करने से मुकदमाेंं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, खासकर, जब ये दो प्रत्यर्थी, ए 4 और ए 10 जो कम्पनी के बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षक थे, गवाहों को प्रभावित करेेंगे और कर्मचारियों के लिए उनके खिलाफ सामने आकर गवाही देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अपराध की गंभीरता, पूरे समाज पर इसके प्रभाव और इसके परिमाण को देखते हुए, प्रत्यर्थी जमानत के हकदार नहीं हैं और उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देकर गलती की है। उन्होंने यह भी जाहिर किया है कि तल्लुरी श्रीनिवास (ए 5) के मामले में इस न्यायालय के आदेशों से उत्तरदाताओके मामले की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि

आपराधिक अपील संख्या 257/2010 में दिनांक 04.02.2010 को उन्हें जमानत देने के इस न्यायालय के आदेश के बाद अन्वीक्षा में पूरा परिदृश्य बदल गया है, इसलिए उक्त आदेश को नजीर के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि ए4 और ए5 मेसर्स एससीएसएल के ऑडिटर थे, ए5 केवल एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए वहां था जबकि ए4 ने वर्ष 2000 से वर्ष 2007 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान काम किया। उन्होंने आपराधिक अपील संख्या 2068-2072/2010 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.10.2010 का भी हवाला दिया जिसमें इस न्यायालय ने एससीएसएल1, एससीएसएल2, एससीएसएल3, एससीएसएल7, एससीएसएल8 और एससीएसएल9 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था।

8. दूसरी ओर, एससीएसएल4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने एससीएसएल4 के साथ साथ उन अभियुक्तों, यानी एससीएसएल1, एससीएसएल2, एससीएसएल3, एससीएसएल7, एससीएसएल8 और एससीएसएल9 की कथित भूमिका पर प्रकाश डाला, जिनकी जमानत इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई है। उनके अनुसार, आपराधिक अपील संख्या 2068-2072/2010 में इस न्यायालय का दिनांक 26.10.2010 का आदेश चस्पा नहीं होता है। जमानत पर रिहा होने से पहले एससीएसएल4 एक साल और पांच महीने तक हिरासत में था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी एससीएसएल 4 और एससीएसएल 5 की बतायी गई भूमिकाएं समान है और जब 04.02.2010 को ही इस न्यायालय द्वारा एससीएसएल 5 को रिहा करने का आदेश दिया जा चुका है तो उच्च न्यायालय ने उनके मामले को समान मानकर जमानत देने में कोई गलती नहीं की है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ए 4 मेसर्स एससीएसएल का कर्मचारी नहीं था, बल्कि मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस में भागीदार था और उसका मेसर्स एससीएसएल में कथित दावे से कोई लेना-देना नहीं है।

9. ए 10 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. राम कृष्ण रेड्डी ने निवेदन किया कि यद्यपि वह मेसर्स एससीएसएल के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, लेकिन उन्हें कोई वैधानिक कार्य नहीं सौंपा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के रूप में उनका नाम केवल दूसरी चार्जशीट में शामिल किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि हाई कोर्ट द्वारा जमानत देने से पहले वह 222 दिनों तक जेल में निरूद्घ रह चुका था।

10. हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विवरणों का अध्ययन किया है और प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है।

11. शिकायत और अनुसंधान के अनुसार, अन्य आरोपियों के साथ एससीएसएल 4 और एससीएसएल 10 वाणिज्यिक जगत के सबसे बड़े

कॉर्पोरेट घोटालों में से एक में शामिल हैं। इससे न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में वित्तीय तूफान आ गया है और उनके कार्यों और आचरण से लाखों शेयरधारकों और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई और देश की कॉर्पोरेट विश्वसनीयता को गंभीर झटका लगा है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत घोटाले के कारण शेयरधारकों और अन्य लोगों को हुई तकलीफों को कम कर नहीं आंका जा सकता है।

12. हालांकि यह तर्क दिया गया था कि मेसर्स एससीएसएल का प्रबंधन अन्य कॉर्पोरेट इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है, हमें यह बताया गया है कि पूर्ववर्ती मेसर्स एससीएसएल में काम कर रहे कर्मचारी अब वर्तमान प्रबंधन के तहत काम कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर, कम से कम लेखा अनुभाग/वित्तीय प्रबंधन में काम करने वाले व्यक्ति उन प्रत्यर्थियों (ए4 और ए10) के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आएंगे, जो कंपनी के बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षक थे और जिनका कंपनी में प्रभाव था।

13. ए4 और ए10 के लिए जमानत का आदेश देते समय उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 257/2010 में दिए गए इस न्यायालय के दिनांक 04.02.2010 के आदेश को प्रमुख आधार बनाया है। उक्त अपील इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के साथ पंजीकृत चार्टेड आकउटेंट तल्लुरी श्रीनिवास (ए5) से संबंधित है। वह आईसीएआई द्वारा पंजीकृत मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस, बैंगलोर के एक

भागीदार के रूप में काम कर रहा था।मेसर्स प्राइस वॉटरहाउस मेसर्स एससीएसएल का वैधानिक अधिकृत लेखा परीक्षक हैं और ए5 के खिलाफ आरोप यह है कि वर्ष 2007-08 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करते समय, कुछ बढ़े हुए आंकड़ों को उक्त रिपोर्ट में शामिल किया गया था और इस तरह उन्होंने लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के पेशेवर निकाय के सदस्य के रूप में विश्वास का गंभीर हनन किया । कई विवरणों का संज्ञान लेने और दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने एससीएसएल5 को जमानत पर रिहा करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया:

"(i) आरोप-पत्र कई हजार पृष्ठों में है;

ii) सीबीआई ने 470 गवाहों का परीक्षण करना प्रस्तावित किया है;

iii) इस मामले में बहुत बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड पेश किया गया है;

iv) इसलिए, यह आसानी से माना जा सकता है कि इस मामले की सुनवाई शुरू होने में ही काफी समय लगेगा।"

ए5 द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध की प्रकृति या उसकी गंभीरता के संबंध में मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना इन तथ्यों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में था, उसे 04.02.2010 को कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया गया।

14. अब सवाल यह है कि क्या यही तर्क उत्तरदाताओं, यानी ए4 और ए10 पर भी लागू होते हैं?

15. हम पहले ही बता चुके हैं कि तल्लुरी श्रीनिवास (ए5) द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील के मद्देनजर, इस न्यायालय ने उक्त पैराग्राफ में बताए गए तथ्यों पर विचार करते हुए दिनांक 04.02.2010 को एससीएसएल5 को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया। सबसे पहले, एससीएसएल4 और एससीएसएल5 की कथित भूमिकाओं में कोई समानता नहीं है। वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने हमें कई सामग्रियों से अवगत कराने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार भी ए4 और ए5 की भूमिकाएं समान है। उन सामग्रियों का अध्ययन करने के बाद, प्रथम दृष्टया, हम संतुष्ट हैं कि उक्त धारणा गलत है। यह इंगित किया गया है कि यद्यपि एससीएसएल4 और एससीएसएल5 दोनों प्रासंगिक समय में मेसर्स एससीएसएलके ऑडिटर थे, स्वीकृत तौर पर एससीएसएल5 ने केवल एक वर्ष की अवधि के लिए काम किया था जबकि एससीएसएल4 2000 से 2007 तक सात सालों तक मेसर्स एससीएसएलके खातों की ऑडिटिंग का प्रभारी था। इसके अलावा, हमने इन दोनों आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तीन आरोप-पत्रों और लगाए गए आरोपों का भी सत्यापन किया है। इन उपलब्ध तथ्यात्मक विवरणों में, प्रथम दृष्टया, हम संतुष्ट हैं कि गलत ऑडिटिंग के परिणामस्वरूप बढ़ा चढ़ाकर बताये गये मेसर्स

एससीएसएल की नकदी और बैंक बैलेंस के संबंध में ए4 और ए5 के मामलों को एक ही स्तर पर नहीं रखा जा सकता है।

16. आपराधिक अपील संख्या 2068-2072/2010 में इस न्यायालय के 26.10.2010 के हालिया आदेश को इंगित करना प्रासंगिक है जिसमें इस न्यायालय ने ए1, ए2, ए3, ए7, ए8 और ए9 को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया था। इस तरह का आदेश पारित करने एवं आरोप 25.10.2010 को तय किए जाने और सुनवाई 02.11.2010 से शुरू होने वाली होने के तथ्यों काे दर्ज करने के पश्चात इस न्यायालय ने कई निर्देश जारी किए, जैसे कि,

(i) ट्रायल कोर्ट दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा और किसी भी स्थिति में 31.07.2011 को या उससे पहले सुनवाई को यथासंभव शीघ्र पूरा करेगा;

(ii) ट्रायल कोर्ट अनुचित स्थगन देने से बचेगा, जब तक कि यह बिल्कुल अनिवार्य न हो जाए;

(iii) पार्टियों को केवल महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक गवाहों का परीक्षण करने और ट्रायल कोर्ट के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है;

(iv) अभियुक्त को सुनवाई की हर तारीख पर समय पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जब तक कि अदालत के आदेश से छूट न दी गई हो;

(v) ट्रायल कोर्ट उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है;

(vi) यदि किसी भी कारण से, मुकदमा 31.07.2011 से पहले समाप्त नहीं होता है तो आरोपी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के 26.10.2010 के हालिया आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस न्यायालय ने मुख्य आरोपियों, अर्थात् एससीएसएल 1, एससीएसएल 2, एससीएसएल 3, एससीएसएल 7, एससीएसएल 8 और एससीएसएल 9 के संबंध में जमानत रद्द कर दी है। हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि उक्त आदेश में इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के मद्देनजर, मुकदमा शुरू हो गया है और विद्वान एएसजी के अनुसार, इसके अंतिम तिथि यानी 31.07.2011 तक समाप्त होने की संभावना है। हमारे संज्ञान में यह भी लाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने 697 गवाहों में से 470 गवाहों को हटा दिया है और केवल 227 गवाहों को परीक्षित किया जाना है। इनमें से 193 गवाहों की परीक्षा हो चुकी है और कुछ से जिरह होनी है। उनके मुताबिक अब केवल 30 और गवाहों को पेश कर उनकी परीक्षा की जानी है।

18. इस न्यायालय के बाद के आदेश दिनांक 26.10.2010 में इस न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर, मुकदमा दिन-प्रतिदिन के आधार पर

आगे बढ़ रहा है और इसके 31.07.2011 तक समाप्त होने की संभावना है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि 04.02.2010 को इस न्यायालय द्वारा तल्लुरी श्रीनिवास (ए5) को जमानत देते समय बताए गए कारण यहां उत्तरदाताओं पर लागू नहीं हैं। तदनुसार, एससीएसएल5 के पक्ष में दिए गए जमानत आदेश के आधार पर इन उत्तरदाताओं को जमानत नहीं दी जा सकती ।

19. ए4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और ए10 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी. राम कृष्ण रेड्डी ने इन व्यक्तियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती न देने और उचित समय पर इन मामलों को न्यायालय के समक्ष रखने में उनकी ओर से विफलता के लिए सीबीआई के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की है। यह विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय ने 25.06.2010 को इन उत्तरदाताओं को जमानत दे दी और उक्त आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने 06.10.2010 को इस न्यायालय के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। स्वाभाविक तौर पर मामला 01.04.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिस पर इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया था और उसी दिन उत्तरदाताओं के वकील द्वारा नोटिस स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। जवाब दाखिल करने के बाद, जब मामला दोनों पक्षों के अनुरोध पर 04.04.2011 को फिर से सुनवाई के

लिए आया तो मामले को 15.04.2011 को अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया और उसी दिन लंबी बहस हुई। यद्यपि अपीलकर्ता-सीबीआई ने विभिन्न कारणों से विशेष अनुमति याचिकाएं दायर करने के तुरंत बाद उन पर आदेश प्राप्त करने के लिए सम्यक तत्परता नहीं दिखाई और कार्यालय रिपोर्ट के अनुपालन में कुछ समय लग गया था, तथापि, इस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्घ उनकी चुनौती को गुण-दोष पर गौर किए बिना खारिज नहीं किया जा सकता।

20. हालांकि ए-10 के विद्वान वकील श्री डी. राम कृष्ण रेड्डी ने निवेदन किया कि वह मेसर्स एससीएसएल के आंतरिक लेखा परीक्षक, कर्मचारी होने के नाते कोई वैधानिक कार्य नहीं करता हैऔर पहले आरोपपत्र में उसका नाम नहीं है और उनका नाम केवल दूसरे आरोपपत्र में था, उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए इस समय शुद्घता के प्रश्न पर जाना वांछित न होने से, घोटाले की व्यापकता के मद्देनजर तथा इस तथ्य को देखते हुए कि लेखा परीक्षा के प्रभारी व्यक्तियों की सहायता व मिलीभगत के बगैर यह घोटाला संभव नहीं था, हम विद्वान वकील का रूख स्वीकार करने में असमर्थ हैंऔर मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत देना उचित नहीं है।

21. यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि जमानत रद्द करने और जमानत देने के आदेश के खिलाफ अपील करने के मानदंडों के बीच अंतर है। पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाला आदेश

पारित करने के लिए बहुत ही ठोस और जबरदस्त परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। आम तौर पर, जमानत रद्द करने का आधार न्याय प्रशासन की प्रतिक्रियाओमें हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या न्याय प्रशासन की प्रतिक्रियाओसे बचने का प्रयास या किसी भी तरीके से आरोपी को दी गई रियायतों का दुरुपयोग है। ये सभी बातें उदाहरण के तौर पर कही गयी हैं। आरोपी के फरार होने की संभावना बाबत रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि जमानत रद्द करने का उचित कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में, एक बार दी गई जमानत को, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में जमानत संबंधी रियायत का लाभ देकर आरोपी को स्वतंत्र रहने देना निष्पक्ष सुनवायी के लिए अनुकूल नहीं रह गया है, यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए ।हमने पहले ही बताया है कि हमारे सामने मुद्दा पहले दी गई जमानत को रद्द करने का नहीं है, सवाल यह है कि क्या घोटाले की व्यापकता की तथ्यों और परिस्थितियों में, सभी मुख्य आरोपियों के पक्ष में दी गई जमानत को रद्द कर दिए जाने के पश्चातऔर बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षकाेंं के तौर पर मेसर्स एससीएसएल की परिसंपत्तियों व बैंक बैलेंस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में एससीएसएल 4 और एससीएसएल 10 की सर्वोपरि भूमिका के मद्देनजर जमानत दिया जाना उचित है तथा हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देना उचित नहीं है।

22. अभियोजन पक्ष के विशिष्ट आरोप के मद्देनजर कि मिथ्या तरीके से बहीखातों में नकदी और बैंक शेष बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, पिछले कई वर्षों की अवधि में बढ़ी हुई आय दिखाने, धोखाधड़ी और लेखों को गढ़ने के आपराधिक षडयंत्र में एससीएसएल 4 और एससीएसएल 10 शामिल थे, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय को इन उत्तरदाताओं को जमानत नहीं देनी चाहिए थी। अन्य अभियुक्तों के संबंध में जमानत रद्द करने के इस न्यायालय के पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 26.10.2010 के मद्देनजरऔर दिनांक 31.07.11 तक निर्धारित समायावधि में विचारण समाप्त करने के इस न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने इन उत्तरदाताओं ए 4 और ए 10 को जमानत देने में त्रुटि की।

23. उपरोक्त चर्चा के आलोक में अापराधिक याचिका संख्या 4913 और 4972/2010 में उत्तरदाताओं यानी ए 4 और ए 10 को जमानत का लाभ देते हुए पारित उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 25.06.2010 खारिज किया जाता है। उन्हें 30.04.2011 को या उससे पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है अन्यथा अपीलकर्ता कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा। सभी टिप्पणियाँ और निर्देश, जैसा कि पहले के आदेश दिनांक 26.10.2010 में वर्णित है, उत्तरदाताओं (ए 4 और ए 10) पर भी लागू होंगे। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के संदर्भ में है

और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना विचारण न्यायालय मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र है।

24. अपीलें स्वीकार की गयी।

अपीलें स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कोचर (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है । अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया हैऔर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिकऔर आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगाऔर निष्पादनऔर कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रजी संस्करण ही मान्य होगा । धन्यवाद ।